कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र – (उ0प्र0)

05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 2458/ रेनुकूट / 15–117 रेनुकूट,दिनांक,जनवरी, 11, 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भः– 1– भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./219 दिनांक– 20.08.2018

2– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या–398/11–सी–एफ0पी0/यू.पी./Irrig /20269/2016 लखनऊ दिनांक– 21 अगस्त 2018

3– आपका पत्र संख्या–914/मी0/33 दिनांक– 04.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राप्त होने वाले समुतल्य गैर वन भूमि का निरीक्षण, श्री के0के0 तिवारी, वन संरक्षक, केन्द्रीय महोदय द्वारा दिनांक– 24.05.2018 को किया गया था । स्थलीय निरीक्षणोपरान्त वन संरक्षक, केन्द्रीय महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया था कि परियोजना में प्रभावित कुल 127.1637 हे0 वन भूमि के सापेक्ष कनहर परियोजना द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करायी जाने वाली समतुल्य गैर वन भूमि 132.6126 हे0 में पूर्व से पेड़–पौधे लगे हुए है, जिसके कारण वनीकरण की भूमि कम हो जायेगी । अतः कनहर परियोजना द्वारा 132.6126 हे0 गैर वन भूमि के अलावा कुछ और गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि उस पर भी वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जा सकें । वन संरक्षक, केन्द्रीय महोदय द्वारा दिये गये निर्देश एवं उसके अनुपालन में प्रभाग की अनुपालन आख्या निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0सं0	वन संरक्षक, (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) द्वारा दिनांक–24.05.2018 को दिये गये निर्देश एवं उसके क्रम में जारी पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/02/31/2018/एफ.सी./219 दिनांक– 20.08.2018	प्रभाग की आख्या
1	2	3
1	Reference is invited to queries sought vide	भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम

this office letter dated 18.04.2018, the compliance of which is awaited. Further , a Site inspection of above Forest proposal for Canal and its distribution system uner Kanhar Irrigation Project in Sonebhadra district was carried out by regional officer on 24.05.2018 in presence of officials of State forest Department and Irrigation department and it was observed that proposed land for equivalent Compensatory afforestation is in lnear shape/form and is covered by standing trees and other vegetation which reduces the net area available for plantation. It was also observed that proposed plantation area is susceptible to submergence during flood etc. The concerned officials were advised to identify equivalent area of proposed plantation by including adjoining villages in such a way that area covered by vegetation is excluded and susceptibility to submergence in further reduced. It is requested that a view of the above observation a revised proposal of CA land along with Plantation shceme with minimum 1000 plants per hectare and 10 yrs maintenance as applicable may be furnished to this office at the earliest for further processing of the said proposal.	में अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय, पिपरी–सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के विण्ढमगंज रेंज अन्तर्गत ग्राम–कुदरी में 28.1482 हे0 अतिरिक्त गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराया गया था । उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं मौके की जॉच करायी गयी । जॉचोपरान्त ग्राम–कुदरी की 28.1482 हे0 गैर वन भूमि वन विभाग को क्षतिपूरक वनीकरण हेतु लिये जाने वावत उपयुक्त पाया गया है । गैर वन भूमि से संबंधित खतौनी की प्रति, राजस्व मानचित्र, जी0ओ0रेफरेन्स मानचित्र, एवं क्षतिपूरक वनीकरण की 10 वर्षीय योजना की 4–4 प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ की सेवा में प्रेषित करने की कृपा करें ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– 2458 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2– प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र ।

3– अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय, पिपरी–सोनभद्र ।

4– क्षेत्रीय वन अधिकारी, विण्ढमगंज को उनके पत्र संख्या– 90 /15 दिनांक–14.12.2018 के क्रम में ।

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट